

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

राजस्व वाद पत्र संख्या 110 / 2016 उनवान गोस्वामी बनाम गेणाराम शर्मा

12/1/26

पत्रावली पेश की वकील वादी अपील  
वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दाखल  
का पेश कि जिसमें वकील वादी को मुक्त  
गाना बंधन मुक्त कि मुक्त अर्थात् प्रार्थना पत्र  
दाखल करने कि जात है  
वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र 018 Rule के  
CPC का पेश कि जो आ. कि। वादी की साक्ष्य  
ली गयी  
वकील वादी की मुल वाद पर एक डी गयी  
वादी अधिस पत्रावली 16/1/26 को पेश की

अखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़

16/1/26

पत्रावली पेश की वकील वादी अपील वादी का  
वाद खारिज कि जात विस्तृत अधिस प्रयुक्त  
से लिये कि पत्रावली में आ. कि। मुक्त गाने पत्रावली  
वकील मुक्त लेख नमूने कि है

अखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़

अहमदाबाद में जास  
हुमना

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2016

1. गोस्वामी श्याम मनोहर पुत्र दीक्षित श्री विठ्ठलनाथ जी आचार्य / स्वामी मन्दिर श्री बृजराज जी महाराज आयु 76 वर्ष निवासी नया शहर किशनगढ जिला अजमेर व 63 स्वास्तिक सोसायटी, विले पार्लो मुम्बई (महाराष्ट्र) जरिये आम मुख्यार किरण ठक्कर पुत्र श्री जगजीवनदास ठक्कर आयु वर्ष निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र) वादी

नाम

1. गोगाराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
  2. रणजीत पुत्र श्री गोगाराम जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
  3. श्योजी पुत्र श्री गोगाराम जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील वादी श्री गोविन्द दास पुरोहित

दिनांक :- 16/2/2016

संक्षेप में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित द्वारा पेश कर निवेदन किया कि गौस्वामी श्याम मनोहर जी वल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य है। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य का श्री बृजराज जी व श्री गोवर्धननाथ जी का मन्दिर नया शहर किशनगढ में स्थित है। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी की दादी पूज्य श्रीमती प्रभावती बहूजी को किशनगढ राज्य द्वारा उक्त दोनो मन्दिर व उससे संलग्न कृषि भूमियां निजी भेंटस्वरूप दिनांक 14.7.1930 को प्रदान की गयी थी इस प्रकार कृषि भूमि भी गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के पूर्वजों को निजी भेंटस्वरूप प्रदान की गयी थी, ग्राम मोहनपुरा के वर्तमान वादग्रस्त खसरा नम्बर 84, 107 व 108 की कुल 22 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री बृजराज जी महाराज के नाम सहवन, से दर्ज हो गई। ग्राम मोहनपुरा के वर्तमान वादग्रस्त खसरा नम्बर 84, 107 व 108 की कुल 22 बीघा 1 बिस्वा भूमि एकमात्र गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के स्वामित्व व आधिपत्य की है और गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के पूर्वजों को उक्त वादग्रस्त भूमि काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही तत्कालीन किशनगढ राज्य द्वारा निजी भेंट स्वरूप प्रदान करने के कारण गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके है। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के पिता दीक्षित श्री बिड्डलनाथ जी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 107 व 108 की कुल 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण को कुछ वर्षों पूर्व काश्त हेतु संभलायी थी और प्रतिवादीगण ने ऊपज का हिस्सा गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के पिता श्री को अदा किया था। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के पिता के देवलोकगमन के बाद प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि की ऊपज का हिस्सा गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी को वर्ष 2006 तक अदा किया और वर्ष 2007 से ऊपज का हिस्सा अदा करना बन्द कर दिया। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के अधिकारी ने प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक रूप से आग्रह किया कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि की ऊपज का हिस्सा नियमानुसार अदा करते रहे, परन्तु प्रतिवादी के आश्वासन के बाद भी कृषि ऊपज का हिस्सा जमा नहीं कराया है। प्रतिवादीगण गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी की सहमति / अनुमति से ही वादग्रस्त भूमि को काश्त कर रहे है।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ

प्रतिवादीगण गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी को वादग्रस्त भूमि की ऊपज का हिस्सा पिछले करीब 8-9 वर्षों से अदा नहीं कर रहे हैं जो इस कारण गौरवामी श्री श्याम मनोहर जी प्रतिवादीगण की फसल काश्त करने की सहमति/अनुमति को निरस्त करना चाहते हैं और वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी को प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी ने अपने अभिभाषक द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 28.04.2016 को रजिस्टर्ड सूचना पत्र वादग्रस्त भूमि का कब्जा संभलाने व पिछले करीब 8-9 वर्षों का कृषि ऊपज का हिस्सा अदा करने बाबत प्रेषित किया जो प्रतिवादीगण को नियमानुसार प्राप्त हो गया लेकिन प्रतिवादीगण ने उसे जानबूझकर लेने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण ने गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के सूचना पत्र की प्राप्ति के बाद सूचना पत्र में वर्णित अवधि के भीतर गौस्वामी श्री श्याम मनोहर जी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं संभलाया और न ही पिछले करीब 8-9 वर्षों की ऊपज का हिस्सा अदा नहीं किया इस कारण प्रस्तुत वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 28/4/16 को जब वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा संभलाने बाबत सूचना पत्र प्रेषित किया तब और प्रतिवादीगण को सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद उसका गलत तथ्यों के आधार पर जवाब दिया और सूचना पत्र में वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद दिनांक 11/5/16 को उत्पन्न हुआ और उसके बाद दिन प्रतिदिन पैदा हो रहा है। वादी ने निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम मोहनपुरा के वर्तमान वादग्रस्त खसरा नम्बर 107 व 108 की कुल 10 बीघा 09 बीस्वा भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे, वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादीगण से पिछले करीब 8-9 वर्षों का वादग्रस्त भूमि की ऊपज का हिस्सा दिलाया जावे इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

वाद का वाद दिनांक 01.08.2016 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 20.05.2025 तक भी बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से दिनांक 20.05.2025 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 12.01.2026 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया तथा वादी की साक्ष्य ली गई एवं प्रदर्श अंकन करवाया गया जो इस प्रकार है प्रदर्श 01 अधिकार पत्र, प्रदर्श 02 जमाबन्दी सम्वत 2069-72 खाता संख्या 160, प्रदर्श 03 रजिस्टर्ड सूचना पत्र दिनांक 28.04.2016, प्रदर्श 04, 05, 06 रजि. डाक की रसीदें।

वकील वादी की वाद पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी ने निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम मोहनपुरा के वर्तमान वादग्रस्त खसरा नम्बर 107 व 108 की कुल 10 बीघा 09 बीस्वा भूमि का भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे, वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादीगण से पिछले करीब 8-9 वर्षों का वादग्रस्त भूमि की ऊपज का हिस्सा दिलाया जावे इस प्रभाव की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य एवं प्रदर्श का अवलोकन किया गया। वाद में वादी द्वारा तहसीलदार किशनगढ को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि तहसीलदार किशनगढ भूमिधारी है किन्तु वादग्रस्त भूमि मन्दिर भूमि होने तथा उक्त त्रुटि तकनीकी त्रुटि होने के कारण मंदिर भूमि के हितों के मध्यनजर वादी की भूल को क्षम्य किया जाता है। हस्तगत वाद, वादी द्वारा जरिये अभिकर्ता भूमि ग्राम मोहनपुरा खसरा संख्या 107, 108 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 09 बीस्वा पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध भौतिक कब्जा दिलवाने




अध्यक्ष अरिचारी  
किशनगढ

बाबत एवं उपज का हिस्सा दिलवाने बाबत पेश किया गया है, जबकि प्रदर्श 02 ग्राम मोहनपुरा के खसरा संख्या 107, 108 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 09 बीस्वा मंदिर श्री बृजराज जी महाराज के नाम दर्ज है अर्थात् वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मंदिर भूमि है। उक्त भूमि पर पर वादी वर्तमान में खातेदार नहीं है, किन्तु उक्त भूमि वर्तमान में मन्दिर के नाम दर्ज है अर्थात् वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मन्दिर भूमि है जिसमें न्यायालय हाजा से दिनांक 15.12.2025 को तहसीलदार किशनगढ को रिसीवरी आदेश जारी किये जा चुके हैं, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक क्रमांक/प02(4)/राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991, परिपत्र क्रमांक 03(2) राज. 6/2007/पार्ट05 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक / चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे। हमारे द्वारा उक्त परिपत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया। उक्त परिपत्रों के अध्ययन एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा एवं अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा मन्दिर भूमि के संबंध में पारित आदेशों के मनन के उपरान्त न्यायालय हाजा वादी के वाद को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझती है। अतः वादी का वाद मन्दिर भूमि के हितों के दृष्टिगत रखते हुये आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि पूर्व में जारी रिसीवरी आदेश दिनांक 15.12.2025 की पालना करते हुये वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 107, 108 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 09 बीस्वा में मंदिर भूमि के संरक्षक के तौर पर रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक क्रमांक/प02(4)/राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991, परिपत्र क्रमांक 03(2) राज. 6/2007/पार्ट05 दिनांक 12.09.2018 की अनुसरण में निर्धारित प्रारूप में पंजिका तहसील स्तर पर संधारित्र करेंगे तथा उक्त पंजिका में पुजारी का नाम अंकन कर पंजिका का संधारण व संचालन करेंगे। तारा बनाम सरकार (15.07.2015 राज.उच्च न्यायालय जोधपुर) तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार वादग्रस्त भूमि का संरक्षण राजकीय भूमि की भांति किया जावे। वादग्रस्त भूमि पर पुजारी का स्वामित्व नहीं होगा, परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के अनुसार पुजारी वादग्रस्त भूमि के कृषि कार्य हेतु विकास के कार्य तहसीलदार के पर्यवेक्षण में कर सकेंगे जिसका इन्द्राज पूर्व निर्धारित पंजिका में किया जायेगा।



आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16/12/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 किशनगढ (अजमेर)